उद्योगों में 20 से 40 फीसदी तक छूट, निवेश की बढ़ेंगी संभावनाएं

नगर निगम क्षेत्र के भीतर औद्योगिक इकाई क्रय करने पर 20 फीसदी की छूट मिलेगी

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। नया डीएम सर्किल रेट उद्योगों को बढ़ावा देने वाला है। तय मानकों के साथ कई अलग-अलग औद्योगिक इकाइयों की खरीद और नई इकाइयों को लगाने में 20 से लेकर 40 फीसदी तक की छूट का प्रावधान किया गया है। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे औद्योगिक क्षेत्र के विकास में अहम योगदान होगा। निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

नगर निगम सीमा के अंतर्गत स्थापित सीमेंट फैक्टरी, राइस मिल, आटा मिल, शुगर मिल, कोल्ड स्टोरेज, ईंट-भट्ठा, वेयर हाउस व अन्य औद्योगिक इकाइयों के क्रय पर 20 फीसदी की छूट दी गई है। इसी तरह से नगर निगम सीमा के बाहर एक हजार वर्गमीटर तक की इस तरह की इकाइयों की खरीद-फरोख्त में भी 20 फीसदी तक की छूट दी गई है।

वहीं, अगर नगर निगम सीमा के बाहर एक हजार वर्गमीटर या इससे अधिक क्षेत्र में कोई नई औद्योगिक इकाई स्थापित होती है तो उसमें निर्धारित अकृषक भूमि की दर में 40 फीसदी की छूट का प्रावधान किया जाएगा।

1000 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्र में नगर निगम से बाहर लगाई जाने वाली नई इकाइयों में 40 फीसदी तक की छूट रहेगी

दो नए औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल किए गए

नए सर्किल रेट में दो नए औद्योगिक क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इसमें घावां व डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भटगांव शामिल है। घावां औद्योगिक क्षेत्र की दर पांच हजार प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है, जबकि डिफेंस कॉरिडोर भटगांव की 1700 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। वहीं अन्य औद्योगिक क्षेत्र के सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

- **निवेश बढ़ने की उम्मीद :** उद्योगों में छूट होने से आने वाले समय में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि इसमें निवेशक को भी लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार भी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स समिट समेत तमाम आयोजन समय समय पर करती रही है। फिलहाल राजधानी में औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने व क्रय में जो राहत दी गई है, ये उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम है।

ऐसा है नया सर्किल रेट

औद्योगिक क्षेत्र	निर्धारित सर्किल रेट
अमौसी	4500
गहरू	5000
हरचंदपुर गढ़ी कनौरा व तालकटोरा	6000
चिनहट	6000
घावां	5000
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भटगांव	1700
सरोजनीनगर	4500

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की दरें निर्धारित करने से औद्योगिक संस्थानों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भूमि प्राप्त करने में आसानी होगी। नगर निगम सीमा के भीतर और बाहर के औद्योगिक संस्थानों के लिए अलग-अलग दरें होने से उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भूमि प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

- रितेश श्रीवास्तव, महासचिव, सरोजनीनगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एसोसिएशन

छोटे प्लॉट में 40 प्रतिशत करने से उद्योगों को और प्रोत्साहन मिलेगा और शासन की महत्वाकांक्षी योजना सीएम युवा उद्यमी अभियान को भी फायदा होगा।

- विकास खन्ना, चेयरमैन, आईआईए, लखनऊ चैप्टर